प्रतिलिपि आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना मेहगॉव जिला भिण्ड (म0प्र0)

प्र.क्र. 4 /2006–07 /अ-2 — श्री दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति अध्यक्ष राधेश्याम दीक्षित पुत्र श्री सीताराम दीक्षित सचिव अवधेश दैपुरिया पुत्र श्री शिवदत्त दैपुरिया निवासी दैपुरिया निवास भूता बाजार भिण्ड आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश

(आदेश दिनांक 5/2/2007 को पारित)

आवेदक श्री दीक्षित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, अध्यक्ष श्री राधेश्याम दीक्षित पुत्र श्री सीताराम दीक्षित, सचिव अवधेश पुत्र शिवदत्त दैपुरिया ने ग्राम मेहगॉव की भूमि सर्वे क्र. 2729 रकबा 0.826 है0 में क्षेत्रफल 22500 वर्गफीट के व्यपवर्तन की अनुमति महाविद्यालय भवन हेतु दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अधीक्षक भू–अभिलेख डायवर्सन तथा राजस्व निरीक्षक डायवर्सन से स्थल जॉच प्रतिवेदन किया गया जिसके अनुसार भूमि आवेदक के भूमि स्वामित्व की है। प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय भूमि शामिल नही है। तथा व्यपवर्तन किये जाने से सार्वजनिक हित में कोई बाधा नही है।

अतः भू–राजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत ग्राम मेहगॉव के सर्वे क्र. 2729 रकबा 0.826 है0 में क्षेत्रफल 22500 वर्गफीट के व्यपवर्तन की स्वीकृती आवेदक को निम्न शर्तो के अधीन दी जाती है।

1. निर्माण कार्य नगर पंचायत मेहगॉव की विधिवत स्वीकृति तथा लेआउट की मंजूरी के पश्चात् किया जावे।
2. शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न किया जावें।
3. ऐसा कोई निर्माण कार्य न किया जावे जिससे सार्वजनिक हित में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
4. ऐसा कोई कार्य न किया जावें जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो।
5. व्यपवर्तित क्षेत्र 22500 वर्गफीट पुनः निर्धारण 3983.00 रूपये वर्ष 2006–07 से कायम किया जाता है। जो प्रतिवर्ष देय होगा।
6. प्रब्याजि 6273.00 रूपये कायम की जाती है जो सिर्फ एक बार देय होगी।
7. व्यपवर्तन की स्वीकृति व्यवसायिक प्रयोजन हेतु दी जाती है। प्रयोजन परिवर्तन करने पर पुनः निर्धारण पुनरीक्षित किया जावेगा।
8. आवेदक निर्माणधीन मकान के सम्मुख 3 फीट स्थान छोडकर निर्माण कार्य करेगा। व्यपवर्तन की इस शर्त की अध्ययीन दी जाती है कि उसमें निर्माण से किसी प्रकार की लोक सुविधा बाधित न हो।
9. उपरोक्त शर्तो के उल्लघंन की दशा में यह अनुज्ञप्ति निरस्त कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही संचालित की जायेगी।
10. प्रकरण बी–1 इन्द्राज हेतु व्यपवर्तन शाखा भिण्ड की ओर भेजा जावे। बी–1 इन्द्राज उपरांत प्रकरण रिकार्ड दाखिल हो।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभाग मेहगॉव

आवेदक का नाम अवधेश
आवेदन दिनांक 5/2/07
7/2/07
5/2/07
10=00
प्रतिलिपि देने का दिनांक 5/2/07

प्रतिलिपिकार
तहसील मेहगांव

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मेहगॉव जिला भिण्ड म.प्र.

प्र. क्र. 3 /15–16/ 172

अवधेश दैपुरिया पुत्र श्री शिवदत दैपुरिया सचिव
दीक्षित शिक्षा प्रसार एव समाज कल्याण
समिति भिण्ड

आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

(आदेश दिनांक 18/03/2016 को पारित)

आवेदक सचिव **अवधेश दैपुरिया** पुत्र श्री **शिवदत दैपुरिया दीक्षित शिक्षा प्रसार एव समाज कल्याण** समिति जिला **भिण्ड** ग्राम मेहगॉव प.ह.न 57 की भूमि सर्वे क्र. 2729 रकवा 0.826 है. में क्षेत्रफल 66409.9 वर्गफीट (0.616) हैक्टेयर वर्गमीटर/वर्गफीट के व्यपवर्तन की अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया राजस्व निरीक्षक डायवर्सन से स्थल जॉच प्रतिवेदन लिया गया। जिसके अनुसार भूमि स्वामित्व है। प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय भूमि शामिल नही है। तथा व्यपवर्तन किये जाने से सार्वजनिक हित में कोई बाधा नही है।

अतः भू– राजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत ग्राम मेहगॉव के सर्वे क्र. 2729 रकवा 0.826 हैं. में से क्षेत्रफल 66409.9 वर्गफीट (0.616) हैक्टेरय/ वर्गमीटर/वर्गफीट के व्यपवर्तन की स्वीकृर्तन आवेदक को निम्न शर्तो के अधीन दी जाती है।

1. निर्माण कार्य नगरपालिका/ग्रामपंचायत / नगर तथा ग्राम निवेश एवं संबधित निकाय की विधिवत स्वीकृति तथा लेआउट की मंजेरी पश्चात किया जावे।
2. शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न किया जावे।
3. ऐसा कोई निर्माण कार्य न किया जावे जिससे सार्वनिक हित में कोई बाधा उत्पन्न हो।
4. ऐसा कोई कार्य न किया जावें जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो।
5. व्यपवर्तित क्षेत्र 66409.9 हैक्टेरय/ वर्गमीटर/ वर्गफीट पर पुनः निर्धारण कृषि भूमि के बाजार मूल्य (कलेक्टर गाइडलॉन 2015) के अनुसार 4000000 =00 प्रति है./ वर्गमी. रुपये का 0.1% से रकवा 0.616 हैं./ वर्ग. मी. का रुपये 4328 =00 वर्ष 2016 से कायम किया जाता है। जो प्रति प्रति वर्ष देय होगा।
6. प्रीमियम कृषि भूमि के बाजार मूल्य (कलेक्टर गाइडलॉइन 2015) के अनुसार 4000000 =00 प्रति है./ वर्ग. मी. रुपये का 1.% से रकवा 0.616 हैं./ वर्ग. मी. का रुपये 24640=00 वर्ष 2016 से कायम किया जाता है जो एक बार देय होगा।
7. व्यपवर्तन की स्वीकृति निवासार्थ/ आवासीय/ औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ शैक्षणिक/ पूर्तप्रयोजन हेतु शिक्षा के प्रयोजन के निर्माण हेतु दी जाती हे प्रयोजन परिवर्तित करने पर पुनः निर्धारण पुनरीक्षण किया जावेगा।
8. आवेदक निर्माणाधीन भूमि के सम्मुख तीन मीटर स्थान छोडकर निर्माण कार्य करेगा।
9. उपरोक्त शर्तो के उल्लघंन की दशा में यह अनुज्ञप्ति निरस्त कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित की जावेगी।
10. प्रकरण बी– 1 इन्द्राज हेतु व्यपवर्तन शाखा भिण्ड की ओर भेजा जाये इन्द्राज उपरान्त प्रकरण रिकार्ड दाखिल हो।

18/3/16

अनुविभागीय अधिकारी
मेहगॉव जिला भिण्ड